

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनाधीन]

भारत सरकार
वित्त प्रशासन
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं० 15/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2017

10 आषाढ़, 1539 शक

सं.सू.वि._____(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय गान और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गान और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय गान और सेवा कर नियम (द्वारा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय गान और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 44 में,-

(क) उपनियम (2) में "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ग) उपनियम (6) में, "आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 96 में,-

(क) उपनियम (1) के खंड (ख) और उपनियम (3) में, "प्ररूप जीएसटीआर 3", शब्दों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ब," शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 56 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा: अर्थात् :-

"96क. बंधन या परिचर्याय के अधीन मात्र या सेवाओं के निर्वाह पर संतुष्ट एकीकृत कर का प्रतिदाय—(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए मात्र या सेवाओं के प्रदाय के विकास का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकांश आयुक्त को:-

(क) यदि मात्र या भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजका जारी करने की तारीख से तीन माह की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या

(ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुक्तान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुमत की जाए,

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विविद्ध व्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाते हेतु प्रत्येक जीएसटी आरएफटी-1 में बंधन या परिचर्या पर देगा ।

(2) सामान्य पॉटेंस पर दिए गए प्रत्येक जीएसटीआर-1 में अंतर्विह निर्यात बीजकों के चरित्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिविहित सिस्टम को पारंपित किए जाएंगे और यह संयुक्ति कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला मात्र या भारत से बाहर निर्यात किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त सिस्टम से सामान्य पॉटेंस को पारंपित की जाएगी ।

(3) जहां उपविधम (1) में विविद्ध समय के भीतर मात्र का निर्यात नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त 59 नियम में उपलब्धित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधन या परिचर्याय के अधीन बचा अनुमात निर्यात को नुरत बध्म से लिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 74 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की परतुली की जाएगी ।

(4) 59 नियम (3) के निबंधानुसार चापस लिए गए बंधन या परिचर्याय पर के अधीन बचा अनुमात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दैय रकम का संदाय करते ही नुरत पुनः स्थापित कर दिया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें और रसीदात विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी संबंधित के स्थान पर परिवर्तन कर दिया जा सकेगा।

(6) उपनियम (1) के अंतर्गत, क्या आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जीन के विकासक्षेत्री या किसी विशेष आर्थिक जीन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शुल्क दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।

111/ नियम 117 में, उपनियम (1) में "प्रायः रूप से" शब्दों के पश्चात् "धारा 140 के स्वीकृतन 2 में बंधा परिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के" शब्द और अंतःस्थपित जाएंगे,

(iv) नियम 119 की शीर्षक में "अभिजाती" शब्द के स्थान पर "छुट-छुट पाई करने वाले वर्गगत" शब्द रखे जाएंगे।

(v) नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थपित किया जाएगा: अर्थात् :-

"अध्याय 17

निरीक्षण, तलाशी और अभिरक्षण

139. निरीक्षण, तलाशी और अभिरक्षण -- (1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आदुत की शक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, पथस्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिरक्षण के प्रयोजनों के लिए कारबाय के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, पथस्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिरक्षण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिरक्षण करने के लिए **परुष जीएसटी आईएनएस-01** प्राधिकृत करते हुए एक प्राप्तिपत्र प्रेष करेगा।

(2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिरक्षण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी **परुष जीएसटी आईएनएस-02** में अभिरक्षण का आदेश करेगा।

(3) उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल या वस्तुओं का अभिरक्षण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सीधे सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूछे अनुमति के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा।

(4) जहाँ ऐसे किसी माल को अभिलेखित करना व्यवहार्य नहीं है वहाँ उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03 में ऐसे प्रतिबंध आदेश की तारीख वार संकेतों कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्ण अनुरोध के सिवाय माल या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्यवाई करेगा ।

(5) माल, दस्तावेज़ी, पुस्तकें या वस्तुओं का अभिलेखन करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेज़ी या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या कुल, क्वांटिटी, डिस्क, डिस्क या माइल, जहाँ कोई लागू कर, के साथ-साथ उसकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज़ या पुस्तकें या वस्तुओं का अभिलेखन किया गया है ।

140. अभिलेखित माल के निर्माण के लिए बंधन और प्रतिभूति -- (1) अभिलेखित माल को, प्ररूप जीएसटी आईएनएस-04 में माल के मूल्य के लिए एक बंधन का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, व्याज और शक्ति की रकम के बराबर की कैश प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनतिम आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के एपोजनों के लिए "लागू कर" को अंतर्गत माल और सेवाएं (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय, बंधनधिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा उपकर, यदि कोई हो, भी है ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनतिम रूप से माल का निर्माण किया गया था, उचित अधिकारी द्वारा बना उपदर्शित नियम तारीख और स्वातंत्र्य पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नफ़ाद में ली जाएगी और उसे संदेय कर, व्याज और शक्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जाएगा ।

141. अभिलेखित माल के संबंध में प्रक्रिया -- (1) जहाँ अभिलेखित माल या वस्तुएं क्लिप्टर या परिमंस्कृतमय प्रकृति की है और यदि क्लिप्टर व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, व्याज और शक्ति की रकम का, जो क्लिप्टर व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहाँ, बंधनधिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के संकलन के आधार पर प्ररूप जीएसटी आई एनएस-05 में आदेश द्वारा तुरंत निर्धारित कर दिया जाएगा ।

(2) जहाँ क्लिप्टर व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनिगम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहाँ आवृत्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्यवहार कर सकेगा और उसके द्वारा वस्तु की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, व्याज, शक्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा ।

अध्याय 18

मांग और प्रसूती

142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश — (1) उचित अधिकारी,—

(क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में, या

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02 में,

उसमें संदेय रकम के प्यरि विनिर्दिष्ट करते हुए तमीन करेगा ।

(2) जहां सूचना या कथन की तमीन से पहले कर से प्रभाव्य व्यक्ति, बयानस्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शक्ति का संदाय कर देता है, वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में एक व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकृत करते हुए एक तमीनकीकृति जारी करेगा ।

(3) जहां कर से प्रभाव्य व्यक्ति अधिनियम (1) के अधीन सूचना की तमीन होने के तीस दिन के भीतर, बयानस्थिति, धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शक्ति का संदाय कर देता है वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी एक सूचना के संघ में वारंवारिणी को समाप्त करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश जारी करेगा ।

(4) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अन्यवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06 में होगा ।

(5) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) के अधीन जारी संक्षिप्त विवरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में, उसमें कर से प्रभाव्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शक्ति की रकम विनिर्दिष्ट करने हुए अपलोड किया जाएगा ।

(6) उपनिबन्ध (5) में निर्दिष्ट आदेश को बसूली की सूचना के रूप में माना जाएगा ।

(7) उचित अधिकारी द्वारा धारा 161 के उपबंधों के अनुसार परिशुद्धि का आदेश प्ररूप जीएसटीडीआरसी-08 में दिया जाएगा ।

143. किसी कृणवन्त रकम से कटौती द्वारा बसूली — जहाँ अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में "व्यक्तिकर्मी" कहा गया है) संदेय की रकम संदेय नहीं की जाती है, वहाँ उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-09 में निर्दिष्ट अधिकारों से, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्तिकर्मियों के प्रति किसी कृणवन्त रकम से उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

साहचरण—इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "निर्दिष्ट अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय संस्थान या राज्य संस्थान या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या आगत स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

144. उचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा बसूली — (1) जहाँ किसी व्यक्तिकर्मी से शीघ्र कोई रकम, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा प्रसूत्र की जाती है वहाँ उचित अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और केवल उतने माल के विक्रय के लिए कर्षव्यवहारे करेगा जिसका बसूली परिधि पर उपगत प्रशासनिक व्यय के साथ स्टेट्स राकम की बसूली के लिए अपेक्षित है ।

(2) उक्त माल का नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विजय किया जाएगा, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में विजय किए जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करती हुए एक सूचना जारी की जाएगी ।

(3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन अधिनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी ।

परन्तु जहाँ मात्र बिलचर या परिपक्वत्व प्रकृति का है या जहाँ उसे अभिरक्षा में रखने का व्यवस्थापकी आवश्यकता से अधिक होने की सम्भावना है, वहाँ उचित अधिकारी इतना तुरंत विचार कर सकेगा।

(4) उचित अधिकारी, नीलाजी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वाले को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूरे निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाली को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समाप्त किया जा सकेगा।

(5) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्रथम जीएसटी डीआरसी 11 में नीलाजी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा। बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त मात्रा का कटौत सफल बोली लगाने वाले की अंतर्गत करेगा तथा प्रथम जीएसटी डीआरसी-12 में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(6) जहाँ व्यक्तिगत उपनिवेश (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व वसूली के अधीन रकम का, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यव भी है, संदाय कर देता है, वहाँ उचित अधिकारी नीलाजी की प्रक्रिया रद्द करेगा और मात्र निर्धारित कर देगा।

(7) जहाँ कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलाजी को पर्याप्त मांगदारी की कमी या कम बीमितियों की कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहाँ उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुनः नीलाजी के लिए आवेदना करेगा।

145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली -- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या, जिसे इस नियम में इसके पश्चात् 'तृतीय व्यक्ति' कहा गया है) प्रथम जीएसटी डीआरसी 13 में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा करने का निर्देश देते हुए, सूचना की समीक्षा कर सकेगा।

(2) जहाँ तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहाँ उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्रथम जीएसटी डीआरसी 14 में ऐसे उन्मोचित दायित्व के द्वारा स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा।

146. किसी डिडी, आदि, के निष्काशन के माध्यम से वसूली -- जहाँ किसी रकम का किसी निविदा न्यायालय की डिडी के निष्काशन में व्यक्तिगत को अर्पित है या किसी वचक या आर के परचम में विषय के लिए है वहाँ उचित अधिकारी प्रथम जीएसटी डीआरसी 15 में उक्त न्यायालय

को अनुरोध करेगा और न्यायालय, लिखित प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्याधीन, संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वस्तुनीय स्वाम के प्रतिनिधित्व के लिए शुद्ध आगामी को जमा करेगा ।

147. जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विषय द्वारा वस्तुनी — (1) उचित अधिकारी, व्यक्तिगती की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की एक सूची तैयार करेगा, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थान आदेश जारी करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी 16 में, ऐसी स्थावर और जंगम सम्पत्ति जो देय स्वाम की वस्तुनी के लिए अपेक्षित है, के संबंध में किसी संघबद्ध को प्रतिषिद्ध करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा ।

परन्तु कोई वृत्त जो पराक्रम्य लिखत द्वारा, किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम सम्पत्ति द्वारा प्रतिभूत नहीं है, न किसी संपत्ति की कुर्की जो व्यक्तिगती के कब्जे में नहीं है, किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपत्ति में निम्नित, निगम 151 में उपबंधित रीति से कुर्की की जाएगी ।

(2) उचित अधिकारी, कुर्की या करस्थान आदेश की एक प्रतिलिपि संपत्ति करस्थ प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को, स्थावर या जंगम सम्पत्ति पर बिल्लगम रखने को भेजेगा जो केवल उचित अधिकारी द्वारा उस वृत्त के लिखित निर्देशों पर हटाया जाएगा ।

(3) जहां उपनिबन्ध (1) के अधीन कुर्की या करस्थान के अध्याधीन, कोई संपत्ति —

(क) स्थावर संपत्ति है, कुर्की या करस्थान आदेश उक्त संपत्ति पर विपक्षित जाएगा और विक्रय की पुष्टि होने तक तोपका रहेगा ।

(ख) कोई जंगम संपत्ति है, वहां उचित अधिकारी उक्त संपत्ति को इस प्रकार अधिनियम के अध्याय 14 के उपबंधों के उक्त संपत्ति का अभिवहन करेगा और उक्त संपत्ति की अभिरक्षा या तो उचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(4) कुर्की या करस्थान की कोई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अन्तर्गत ई-नीलामी भी है, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 17 में सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपस्थित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए, जारी किया जाएगा ।

(5) इस अध्याय के उपबंधों के अर्थात् इस नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति पराक्रम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वह उचित अधिकारी इसे लोक नीलामी में विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दस्तावे के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दस्तावे वस्तुनी के अर्थात् वहां अपेक्षित स्वाम को उपलब्ध के लिए, उसके स्वीक्षण की घटाकर ऐसे विक्रय के आयम को सरकार को निक्षेप करेगा और अधिपक्ष स्वाम, यदि कोई हो, या संघय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को भेजेगा ।

(6) उचित अधिकारी, नीलाग्री में, आग लेने के लिए बोली लगाने वालों को वापस बुलाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दो जलने वाली सूखे निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, सचास्थिति, सकल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सकल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का अदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे समाप्त किया जा सकेगा ।

(7) नीलाग्री की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिनांक उपनिषद् (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा ।

परन्तु जहां मात विनश्वर या परिसंकाटमय प्रकृति का है या जहां उसको अतिरक्षित में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभावनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विपन्न कर सकेगा ।

(8) जहां कोई या आक्षेप किसी संपत्ति की कुर्की या करसम्बन्ध के संबंध में इन आधार पर किया जाता है या उठाना जाता है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या करसम्बन्ध के लिए लागू नहीं है, वह उचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विपन्न को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुक्त कर सकेगा ।

(9) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनिषद् (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख से कुर्की या करसम्बन्ध के अधीन प्रत्येक संपत्ति में वह कच्चे में था या उसका कुछ हिस्सा था ।

(10) जहां अन्वेषण करने पर उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, वह समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यक्तिगर्भों या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यक्तिगर्भों के या उक्त तारीख पर व्यक्तिगर्भों के कब्जे में होने के कारण वह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारणों से वह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी सम्पत्ति, व्यक्तिगर्भों या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त तारीख से जो व्यक्तिगर्भों के कब्जे में थी, वह उसके स्वयं की या उसके स्वातंत्र्याधीन सम्पत्ति नहीं थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या भाग्य, उसकी स्वयं की और भाग्य, किसी अन्य व्यक्ति की थी, वह उचित अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को, पूर्णतः या ऐसे विस्तार तक, जो वह ठीक समझे, कुर्की या करसम्बन्ध से निरौचन कर अधिकार देगा ।

(11) जहां उचित अधिकारी का वह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यक्तिगर्भों के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, त कि किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, या उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी अन्य

व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिनियम में था उचित अधिकारी द्वारा नामांकित करने और नीतियों के माध्यम से विवाद की प्रक्रिया अवसर करेगा ।

(12) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11** में सूचना, उसमें अपेक्षा करते हुए कि स्वयं का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर करे, जारी करेगा और जब उचित संदाय हो जाता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी 12 में संपत्ति के ध्वंसे, अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ध्वंसे और संदाय राकम, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावपर जारी करेगा और ऐसा प्रस्तावपर जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संपत्ति में अधिकार, हक और हित अंतरित समझे जाएंगे ।

परन्तु जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से एक संपत्ति का सहस्वामी है यहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा।

(13) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतरण के संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक संदाय की जाएगी जिसे ऐसी संपत्ति में हक अंतरित किया जाता है ।

(14) उपनियम (4) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यक्तिजी वस्तु अधीन रकम का संदाय करता है, जिसके अंतर्गत वस्तु की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है, वहां उचित अधिकारी नीतियों की प्रक्रिया को रद्द करेगा और मांग को निर्माचित करेगा ।

(15) जहां कोई बोलिया प्राप्त नहीं होती है या नीतियों को पर्याप्त सार्वजनिक की कमी या कम बोलियों की के कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीतियों के लिए कार्यवाही करेगा ।

148. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या हक करने का प्रतिषेध—कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के उपसर्ग के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विभाग के संबंध में किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विभाग संपत्ति में किसी हित का अंश या हित अर्जित करने या प्रवास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा ।

149. अवकाश-दिन पर विभाग करने का प्रतिषेध—इस अध्याय के उपसर्ग के अधीन नियमों के अंतर्गत, विभाग या सरकार द्वारा मजबूतप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन, जो सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विभाग किया जाता है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, कोई विभाग नहीं किया जाएगा ।

150. पुलिस द्वारा सहायता -- उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के आरक्षण अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, मांग

संकेता और उचित भारसाधक अधिकारी ऐसी संयुक्तता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा ।

151. झूठी और धोखी आदि की कुर्की — (1) कोई झूठा या परजन्म विधवा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, नियम में शेष या अन्य जंगम सम्पत्ति जो व्यक्तिवर्गी के कानून में नहीं है, सिवाय ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, **ग्रहण जीएसटीडी आरसी-16 में निर्दिष्ट आदेश द्वारा**—

(क) झूठ के मामले में संसद के झूठ की कानूनी करने से और झूठी को इसका संदेह करने से जवाब कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ;

(ख) शेष के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेष धारित है, को उसे अतिरिक्त करने से या उस पर कोई न्यायालय प्राप्त करने से ;

(ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कानून रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यक्तिवर्गी की देने से प्रतिषिद्ध करने हुए कुर्की किया जाएगा ।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी संयुक्तस्थ भाग पर विपणन जाएगा, और एक अन्य प्रति झूठ के मामले में, कुर्की को भेजी जाएगी, और शेष के मामले में, जंगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, इसका कानून रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(3) उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई झूठा, अपने झूठ की राशि का संदेह उचित अधिकारी को कर संकेता, और ऐसा संदेह व्यक्तिवर्गी को संदेह किया गया समझा जाएगा ।

152. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की — जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वह उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेह कोई दयालु या न्यायालय, संदेह राशि कि उसकी राशि धारित कर किया जाए ।

153. भागीदारी में हिस्से की कुर्की — (1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति में, व्यक्तिवर्गी या किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर एक हिस्से सम्मिलित है, वह उचित अधिकारी ब्रमाण्य के अधीन, शीघ्र राशि के ऐसे संदेह के साथ भागीदारी सम्पत्ति में ऐसे भागीदार के हिस्से और नामों को ब्रमाण्य करते हुए एक आदेश कर संकेता और इसी या परचालवर्ती आदेश द्वारा ऐसे नामों जो पहले से ही घोषित हो या प्रोद्गृत हुए हैं और ऐसे अन्यधन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर अधिष्ठा हो न हो ही में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में किसी व्यक्तिवर्गी

कर सकेगा, लेखा और जॉब के लिए निर्देश दे सकेगा और ऐसे क्लि के विषय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में उपेक्षा हो।

(2) अन्य शर्तोंद्वारा जो किसी भी समय, प्रसारित हित का संयोजन करने या विफलता का निर्देश किए जाने की दशा में, उसका व्यवहार करने की स्पष्टता होगी।

154. माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विषय के मामलों का अध्ययन -- किसी व्यक्तिकर्मी से शोध के वसूली के लिए, माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विषय से इन प्रकार प्राप्त की गई रकम:-

(क) प्रत्यक्षता, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी;

(ख) सत्यप्रकार वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी;

(ग) सत्यप्रकार अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा का अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या संघ-राज्यांतर माल और सेवा का अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या किसी राज्य का राज्य माल और सेवा का अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्तिकर्मी से शोध किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी; और

(घ) व्यक्तिकर्मी को भुगत किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी।

155. भू-राजस्व प्राधिकारी के अध्ययन से वसूली -- जहां किसी रकम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाती है, वहां उचित अधिकारी जिसे के कलेक्टर या उपकलेक्टर को या प्रमुख जीएसटीडी ऑफिसी-19 में इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में, विनिर्दिष्ट रकम की सम्बंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व को वसूला गया हो।

156. न्यायालय के अध्ययन से वसूली -- जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जाती है, जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिशेषित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबंधों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रमुख जीएसटीडी ऑफिसी-19 में सम्बंधित व्यक्ति से संबंधित विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिशेषित एक जुर्माना हो।

157. प्रतिभू से वसूली -- जहां कोई व्यक्ति व्यक्तिकर्मी पर शोध रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि यह व्यक्तिकर्मी हो।

158. किस्ती में कर और अन्य रकमों का संदाय -- (1) किसी करार्थी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शांध्य कर्तों या किसी रकम के संदाय के लिए समवायधि के विस्तार की इच्छा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्ती में ऐसे कर्तों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए **प्रत्येक जीएसटीडी आरसी-20** में इलेक्ट्रॉनिकली अपोडन पाइल किए जाने पर, आयुक्त, उक्त रकम का संदाय करने के लिए करार्थी व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की मांग करेगा।

(2) करार्थी व्यक्ति की प्रारब्धता और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात्, आयुक्त करार्थी व्यक्ति को संदाय करने के लिए अनिवार्य समय और/या रकम का ऐसी मासिक किस्ती में, जो बांकीस से अनधिक है, जिस वह आयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, **प्रत्येक जीएसटीडी आरसी-21** में एक आदेश जारी कर सकेगा।

(3) अधिनियम (2) में निहित सुविधा, कहा अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां--

(क) करार्थी व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत मान और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र मान और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य मान और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यक्तिगत है जिसके लिए बगुनी प्रक्रिया लागू है।

(ख) करार्थी व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत मान और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र मान और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य मान और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्ती में संदाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है।

(ग) जोड़े रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की इच्छा की गई है, पच्चीस हजार रुपयों से कम है।

159. सम्पत्ति की अंतिम कुर्बी -- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक ब्याज सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्बी करने का विनिश्चय करता है, वहां वह **प्रत्येक जीएसटीडी आरसी-22** में तद्विध सम्पत्ति जो कुर्बी की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा।

(2) आयुक्त कुर्बी के आदेश की प्रति सम्बंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त लगन या भूधार सम्पत्ति पर बिल्लनगन रखे, जो केवल आयुक्त के इस लिखित लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा।

(3) जहां कुर्बी की गई सम्पत्ति बिल्लन या परिसंकटसमय प्रकृति की है, और यदि करार्थी व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति के वाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय

करता है या ऐसी स्थिति को संदाय करता है जो क्वाथेच व्यक्ति पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पत्ति, संदाय के समूह पर, प्रथम जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश द्वारा तुरंत निर्मुक्त की जाएगी।

(4) जहां क्वाथेच व्यक्ति बिलदार या परिसंस्करण व्यक्ति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम पर संदाय करने में विफल रहता है, जहां आयुक्त ऐसी सम्पत्ति का व्यवसाय कर संकेता और तद द्वारा प्राप्त राजस्व, कर, व्याज, शक्ति, शुल्क या क्वाथेच व्यक्ति द्वारा संदेय किसी अन्य स्वयं के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुत्ती की गई है, कुत्ती के साथ शिवसी के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रमाण की एक आपत्ति काइल कर सकेगा कि कुत्ती की गई सम्पत्ति कुत्ती किए जाने के लिए दावी नहीं की या है, और आयुक्त आपत्ति काइल करने वाले व्यक्ति को मुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रथम जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

(6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पत्ति कुत्ती के लिए और अधिक दावी नहीं की या है, प्रथम जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

160. समाधानाधीन कंपनी से पसूली -- जहां कंपनी समाधानाधीन है जैसा कि चार 68 में विनिर्दिष्ट किया गया है, जहां आयुक्त, कर, व्याज, शक्ति दलित करने हुए कोई रकम या उपनियम के अधीन एवेदन किसी अन्य स्वयं की पसूली के लिए प्रथम जीएसटीडी आरसी-24 में समाधान को अधिभूतिन करेगा।

161. कतिपय पसूली कार्यवाहियों का जारी रहना -- चार 64 के अधीन किसी मॉग में कमी या वृद्धि के लिए आदेश प्रथम जीएसटीडी आरसी-25 में जारी किया जाएगा।

अध्याय 19

अपराध और शस्तियाँ

162. अपराधों के प्रथमन के लिए प्रक्रिया -- (1) कोई आवेदन, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् चार 138 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम जीएसटीडी पीसी-01 में, अपराध के प्रथमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन की पति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विविधियों या कोई अन्य सूचना जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा।

(3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के लघ्वे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटीसीपीडी-02 में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान देने पर कि आवेदक ने उसके सम्बन्ध कार्याहिनियों अ सरुयोग किया है और आसले से सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्ररामित रकम इवित करने हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभिविगत में अन्वुक्ति प्रदान कर सकेगा है या ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

(4) उपनिबन्ध (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए विना और ऐसे तमंजुरी के कारणों को अभिविधित किए विना नहीं किया जाएगा ।

(5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जबतक संदाय के सिप दासी कर, व्याज और शक्ति का आसले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है ।

(6) आवेदक उप नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्ररामित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सधृत प्रस्तुत करेगा ।

(7) यदि आवेदक उपनिबन्ध (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररामित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उप नियम (5) के अधीन किया गया आदेश दूधित और शून्य हो जाएगा ।

(8) किसी व्यक्ति को उप नियम (3) के अधीन प्रदान की गई अन्वुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्ररन्वहृत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्ररामित कार्याहिनियों के अन्वुक्रम में, कोई तात्त्विक विविधियाँ विधानों की या निरन्ध मंजूर दिया या खुदगी ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए अन्वुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्ररामित कार्याहिनियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिविधन के उपबन्ध लागू होने, जैसे कि ऐसी कोई अन्वुक्ति प्रदान नहीं की गई थी ।

(vi) "प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10" विन्वविधित के आसले पर आसले विन्वविधित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-11।"

फॉर्म – जीएसटी आरएफडी-01
(नियम 89(1) देखें)

प्रतिदाय के लिए आवेदन

घराना – रजिस्ट्रीकृत/अनरजिस्ट्रिड/अरजिस्ट्रीकृत/अनिकासी करायेय व्यक्ति

1. जीएसटीआरईएम/अनुयायी आईटी
2. विधिक नाम :
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
4. पता :
5. वार अवधि : <दिन/मास/वर्ष> से <दिन/मास/वर्ष>
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :

अधिपतिधन	कर	व्याज	शान्ति	लीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें) :

- (क) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में अतिरिक्त अधिशेष ;
- (ख) सेवाओं का निर्गम-कर के संदाय सहित ;
- (ग) ग्राहक/सेवाओं का निर्गम- कर के संदाय के बिना उद्धरणार्थी, संचित इनपुट कर प्रत्यक्ष ;
- (घ) निर्धारण/अनतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण—

(i) आदेश के प्रकार चयन :

निर्धारण/अनतिम निर्धारण/अपील/ अन्य

(ii) निम्नलिखित धाराओं का उल्लेख करें :-

1. आदेश संख्या :
2. आदेश की तारीख <जारी>
3. आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप टाग के लिए रखना)

(यदि आदेश सिस्टम के माध्यम से जारी किया जाता है, तो 2,3,4 स्वतः चालित)

(क) विपरीत कर दावा के लिए विशेष कर प्रत्यक्ष संघित (धारा 54(3)) के परन्तुक के अंतर्गत (ii)

(घ) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या संसदीय नगर नियंत्रण प्राधिकार के लिए नए प्रदाय पर—

(प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार बताना करें)

1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदाय
2. विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को प्रदाय
3. माने गए नियंत्रण के प्राप्तिकर्ता ।

(3) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय पर संघित इम्पुट कर प्रत्यक्ष का प्रतिदाय

(अ) प्रदाय पर स्टैम कर जिसे उपस्थित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या आंशिक और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है ।

(आ) राजस्व/अर्थिक पर स्टैम कर पर जिसे अन्तःराष्ट्रिय और शिपरीयेन धारित किया जाए ।

(अ) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो

(ए) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. बैंक लेखा के अंतर्गत (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में भारतीय से स्वतः चालित)

(क) बैंक खाता संख्या :

(ख) बैंक का नाम :

(ग) बैंक खाता प्रकार :

(घ) खाता धारक का नाम :

(ङ) बैंक शाखा का पता :

(च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) :

(3) मैकानेटिक इंक मॉडेक्टर रिकॉग्निजेशन (एमआईसीआर) :

9. क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्व घोषणा काइल की गई है, यदि नहीं तो

हो ☐ नहीं ☐

घोषणा

मैं स्वतःस्वरूप घोषणा करता हूँ कि निर्धारित मात्र किसी नियंत्रित शुल्क के लिए कोई विशेष नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मात्र या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्ति नहीं है और कि मैंने प्रदाय पर स्टैम कर एकीकृत कर जिसकी वास्तव प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्रस्थिति

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि आपेदन में किए गए दावा निरीक्षण कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरी पर शून्य के लिए उपयोगित मान या सेवाओं पर प्राप्त किया जा या पूर्णतः टूट जो प्रदाय करता है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्रस्थिति

स्वयं-घोषणा

मैं/हम..... (आवेदक) जिसके पास मान या सेवा कर पण्योन संख्या/प्रसवार्थी आईडी..... सत्यानिष्टा से प्रतिमान और प्रमाणित करता हुकरते हैं और प्रमाणित करता हुकरते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि से तक के लिए कर, ब्याज, या कोई अन्य एकल के बारे में स्पष्ट के लिए उसकी कोटि प्रतियां की सबसे आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की पटना किसी व्यक्ति द्वारा धरित नहीं किया गया है ।

(इस घोषणा का ऐसे आवेदार्थी द्वारा दिया जसला अपेक्षित नहीं होगा जितनीने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है) ।

10 सत्यापन

मैं/हम..... (करदाता या मान) सत्यानिष्टा प्रतिमान और घोषणा करता हुकरते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

मैं/हम घोषणा करता हुकरते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस सदे कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान
तारीख

प्रधिकारी का हस्ताक्षर
(नाम)
पदनाम/प्रस्थिति

कथन 1:

(अनुबंध-1)

प्रतिष्ठान प्रकार : विधित्त राज कर संरचना के कारण संशोधित आईटीसी (धारा 54(3) के संशुद्ध के खंड (1/1))

भाग क : आर्थिक प्रदाय

(जीएसटी आर-1 : सारणी 4 और 5)

जीएसटीआईएन/यूआईएन	बीजक के खरी			दर	यभापीय		रकम			प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य		मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग क : आर्थिक प्रदाय :

जीएसटी आर-2 : सारणी 3 (मिलाप गप बीजक) :

कर अवधि

प्रदायक की जीएसटीआईएन	बीजक के खरी			दर	करा पीय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	समा इन्सुट या इन्सुट सेवा/पूजीमाल (जिसके अंतर्गत खरीद और अर्पण है)/आईसी के लिए अर्पण है	उपलब्ध आईसी की रकम			
	सं०	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पण: डाटा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः भर जायेगा।

फॉर्म 2:

प्रतिदायक का प्रकार :

कर संदाय अधिक सेवाओं का निर्धारण

(जीएसटीआर-1 : सारणी - 5क और सारणी -9)

1.

प्रतिदायक का जीएसटीआईएन	सेवाओं के प्रकार				एकीकृत कर			जीएसटी/एफआईआरसी		संगठित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नगरीय प्रतिफल कर/संगठित कर/संगठित कर (यदि कोई है)	अनुपूरण एकीकृत कर/संगठित कर (यदि कोई है)	कुल प्रतिफल कर (11/8)+12 -13
	संगठित	नगरीय	अनुपूरण	एफआईआरसी	एक	द्वितीय	तृतीय	संख्या	विवरण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अन्य विवरण:													

जीएसटी/एफआईआरसी के विवरण आनुपूरण है—सेवाओं के नामों से।

कक्ष 3:

परिदाय का प्रकार:

कर के सदाय के घित्त निकाल-भणित आहुटीनी

(सीएसटीआईआन-1: नारणी 6क)

1.

आधिकारिक का जीएसटीआ ईएन	सीआन के ध्वरि							आरतन भणित			रक्कीकृत कर			ईसीएस ध्वरि		सीआरसी/क आहुटीआरसी	
	सें0	तारीख	रुपय	आत/सेव [न/सी]	आवरकण /धसपसी	रुपयुनी	परिमण	संख्या	तारीख	कड	टा	कपाधेव रुपय	रतन	संक्रमे सें0	तारी ख	सें0	ताण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
नक. निखीत:																	

रिपण-1. घीत परिदहन वर और ईसीएस आजापक है — नाल के नालने नै ।

2. सीआरसी/रफआहुटीआरसी के ध्वरि आजापक है — सेवाओं के नालने नै।

Figure 1 *Flowchart of the study*

दिलेख आर्थिक जीवन दिलेख आर्थिक जीवन विकासकर्ता को प्रदान

प्रतिद्वय या प्रत्ययः

विशेष आर्थिक जोन-विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के त्तरण या प्राप्तिकर्ता के समझे गए निर्धारित

(जीएसटीआर-1 : सारणी 6अ और सारणी 9)

[illegible]

(जीएसटीआर-1 : सारणी 5 और सारणी 8)

[illegible]

1000

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

[illegible]

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 10-year-old children. The study was conducted in a primary school in Ankara, Turkey. The children were divided into two groups: a control group and an experimental group. The experimental group participated in a 12-week training program that included aerobic, strength, and flexibility exercises. The physical fitness of the children was measured at the beginning and end of the program using a series of tests. The results showed that the experimental group had significantly higher levels of physical fitness than the control group at the end of the program. The findings suggest that a 12-week training program can improve the physical fitness of 10-year-old children.

प्रतिष्ठान का प्रकार : अंतराष्ट्रियक प्रदाय पर सदन कर की सत्परिधान्तराष्ट्रियक प्रदाय के रूप में धारित है और विषयवस्तु

आदेश के अन्तर्गत प्राप्ता ११ (१) और (२) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो।

[illegible]

कथन 7

प्रदाय का प्रकार : कर का अधिक संदाय, यदि कोई दर्जित विवरणी पाइन करने की दशा में

(कमदाय की दशा में जिसने जीएसटीआर विवरणी पाइन की है - सारणी 12)

क्रम सं.	कर अवधि	विवरणी की संदमे सं०	विवरणी पाइन करने की तारीख	संश्लेष कर			
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

उपबंध-१

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि कर अपशि के लिए.....मान और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईटी, मैकसी..... (आवेदक या नाम) द्वारा(छांटो से) आई एन आर टाब के प्रतिदाय के संबंध में जन और ब्याज का आपसत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा विरोध रूप से अनुमोदित/दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

गट्टई: अकाउन्टेन्टलगत सेवाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थान :

तारीख :

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (द.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाता अपेक्षित नहीं है ।

प्रथम जीएसटी अध्यापक - (1)
[नियम 30(1), 30(2) और 95(2) देखें]

अभिस्वीकृति

प्रतिपक्ष के लिए आपका आवेदन का आवेदन संख्या > के विषय अभिस्वीकृत कर लिया गया है।

अभिस्वीकृति संख्या :

अभिस्वीकृति की तारीख:

जी एसटीआईएन/आईएन/अन्वयायी आई वी, यदि लागू हो :

आवेदन का नाम:

उत्पत्ति :

प्रत्यक्ष निवेदन:

अधिकारिता (समूचित निशान लगाएं) :

केन्द्रीय

राज्य

संघ राज्य क्षेत्र :

द्वारा भरा गया

प्रतिदाय आवेदन स्वीय	
कर अवधि	
कंपन करने की तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए कारण	

दायकृत प्रतिदाय की स्थिति

	कर	व्याज	शक्ति	सिमा	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेवा कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

टिप्पण 1 : आवेदन की प्रारम्भिक जीएसटी प्रणाली पोर्टल पर दिये आवेदन प्रारम्भिक प्रतिदाय के माध्यम से आवेदन सदन संख्या देने करने से देखी जा सकती है ।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पादन अभिलेखीकृत है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

प्रत्यक्ष जीएसटी आरएफडी - 414

(नियम 91(2) देखें)

मंजूरी आदेश सं.:

तारीख: <दिन /मास /वर्ष>

सेवा में

_____ (नाम और सेवा कर पहचान संख्या)

_____ (नाम)

○ (यदि)

अन्तिम प्रतिदाय आदेश

प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन) _____ तारीख _____ तारीख <दिन /मास /वर्ष>

अभिस्वीकृति सं. _____ तारीख _____ <दिन /मास /वर्ष>

नमोदय /नमोदया,

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित रकम अन्तिम आधार पर आपकी स्वीकृत की जाती है :

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय अर	राज्य / संघ राज्य संघ अर	स्वीकृत अर	उपकरण
(i)	दायकृत प्रतिष्ठान की रचना				
(ii)	दायकृत (अथवा अर 10%) प्रतिष्ठान के अर में अथवा नै स्वीकृत किया जाएगा)				
(iii)	बकाया अथवा (अथवा)				
(iv)	स्वीकृत प्रतिष्ठान की रचना				
	वैक विवरण				
(v)	अथवा के अनुमान वैक अथवा संख्या				
(vi)	वैक का नाम				
(vii)	वैक / अथवा का पता				
(viii)	अथवा एक अथवा नै				
(ix)	अथवा अथवा नै अथवा				

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (और पत्र सीट)

नाम:

पदनाम:

कर्मचारी पता:

प्रश्न जीएसटी आरएफटी-05
(निधन 31(3), 32(4), 33(3) और 34 देखें)

संक्षेप परामर्श

संक्षेप परामर्श में,

तारीख: <दिन/मास/वर्ष>

सेवा में, <केन्द्रीय> पीएम/बजट/आरबीआई/बीक

प्रतिदाय स्वीकृति आदेश नं. _____

आदेश तारीख: _____ <दिन/मास/वर्ष> _____

जी एस टीआई एल/यू आई एल/अन्यथा आई डी <>

रकम: <>

प्रतिदाय रकम (आदेश के अनुसार): _____

विवरण	वैयक्तिक रूप						केन्द्रीय रूप						कर्म/सेवा/सहकारी संघ						अन्य					
	टी	आ	ई	एल	जी	कुल	टी	आई	ई	एल	जी	कुल	टी	आई	ई	एल	जी	कुल	टी	आई	ई	एल	जी	कुल
वैयक्तिक रूप प्रतिदाय के अनुसार																								
अन्यथा प्रतिदाय का अनुसार																								
कुल																								

टिप्पणी: एवं के लिए "टी", आयदा के लिए "आई", प्रतिदाय के लिए "ई", पीएम के लिए "एल", अन्य के लिए "जी"।

	बैंक के व्यक्ति	
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या	
(ii)	बैंक का नाम	
(iii)	बैंक/खाता का नाम और पता	
(iv)	आईएफएससी	
(v)	एमआईडीआर	

तारीख:

हस्ताक्षर (टीएस सी):

स्वाक्षर:

नाम:

पदनाम

आखिरी पता:

सेवा में

..... (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईटी)

..... (नाम)

..... (पता)

प्रत्येक जीएसटी आरपफडी-06

[नियम 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 96(7) देखें]

आदेश सं.

तारीख <दिन/मास/वर्ष>

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/जीएसटीआईएन/अन्यकी आईटी)

_____ (नाम)

_____ (पता)

समय/बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)

अभिस्वीकृति संख्या _____

तारीख <दिन/मास/वर्ष> _____

मंजूर किया गया प्रतिदाय/अस्वीकृत आदेश

महोदय/महोदया,

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के स्टैंड में "प्रतिदाय पर व्यक्त"।

<<प्रतिदाय मंजूर करने या नमंजूर करने के कारण, यदि कोई हो>>

[illegible]

[illegible]

दिखाया जाये कि "ठी" शब्द है कि "अच्छे", धर्म के लिए "को" जैसे कि कि "अच्छे" शब्द है कि "अच्छे"

* जो लागू न हो उसे काट दें।

*1. मैं, अधिनियम की धारा 56 के अधीन / अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मेसर्स..... को आई एन आर..... की रकम की मंजूरी देता हूँ।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(क) और रकम को उसके द्वारा उसके अपेक्षा में निर्दिष्ट बैंक खाता में संचाय किया गया है।

(ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 5 पर निर्दिष्ट बकाला की वसूली को समायोजित किया गया है।

(ग) स्पष्ट की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर निर्दिष्ट बकाला की वसूली को समायोजित किया है और
ऐसे..... स्पष्ट की रकम को उसके द्वारा उसके अपेक्षा में निर्दिष्ट बैंक खाता में संचाय कर दिया गया है।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

या

*2 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपरोक्त कल्याण निधि को आई एन आर..... की रकम जमा करता हूँ।

*3 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मेसर्स..... को आई एन आर..... की रकम को निरस्त करता हूँ।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

मैं धारा 56 के अधीन अपेक्षक को प्रतिदाय की रकम को तभीय तक स्पष्ट के संचाय का आदेश देता हूँ।

तारीख:

हस्ताक्षर (बी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनामः

यमकीर्तय पता:

प्रत्य जीएसटी आरएफडी-07

(निष्पन्न 92(1), 92(2), 96(6) देखें)

संदर्भ सं.

तारीख: <दिन/मास/वर्ष>

सेवा में,

..... (जीएसटीआईएल/बुआईएल/अन्यथा आईटी स.)

..... नाम

..... (पता)

अभिस्वीकृति संख्या

तारीख: <दिन/मास/वर्ष>

स्वीकृत प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग - 35

महोदय/महोदय,

उपरोक्त कथनित/आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपकी स्वीकृत किए गए प्रतिदाय की राकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फंडिंग किए गए टैक्सपेज बकाया भाग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ध्वरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	कैन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यसौंपकर	उपकर
(i)	दायाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	अन्तिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय				
(iii)	अस्वीकृत अकाय प्रतिदाय रकम <<कारणा उल्लेख कीजिए >>				
(iv)	प्रतिदाय अनुनेय (न-वा)				
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन वकाय मान (आदेश से.....के अनुसार) के विस्तृत समाबेजित प्रतिदाय मान आदेश से.....तरीक..... <बहु-पक्षियों में दी जा सकती है>				
(vi)	प्रतिदाय रकम पर शेष	शून्य	शून्य		शून्य

न. यह आदेश देना है कि उपरोक्त बकायजित दायाकृत अनुनेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन वकाय मान के विस्तृत पूर्ण रूप से समाबेजित कर दी जाए। इस आदेश का निष्पत्ति अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है।

भाग- ब

प्रतिदाय रोक्ने के लिए आदेश

यह आपके ऊपर विहित प्रतिदाय आवंटन और मामले में दी गई सूचना/दस्तावेजों के संदर्भ में है । आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम निम्नलिखित कारणों से प्रतिधारित कर दी गई है :

प्रतिदाय आदेश में :					
आदेश जारी करने की तारीख:					
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	कैन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यसौकर	उपकर
i.	मंजूर प्रतिदाय की रकम				
ii.	रोके गए प्रतिदाय की रकम				
iii.	अनुलेख प्रतिदाय की रकम				

प्रतिदाय रोक्ने के लिए कारण

पाठ

मैं, यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त ब्यापटरीज दावाकृत अनुलेख प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई । यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.....) उपधारा (.....) के अधीन उपबन्धों के अनुसार जारी किया गया है.

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (और पत्र सीट)

नाम:

पदनाम:

कर्मचारी पता:

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10

/नियम 95(1) देखें/

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अधिकरण या कोई बहुपक्षीय वितीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास आदि द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. गुमाईफल :

2. तारीख :

3. पता :

4. वसूली अवधि (तिमाही) : दिनांक /मास /वर्ष सेतक

<दिनांक /मास /वर्ष>

5. दत्ता प्रतिदाय की रकम <आई एन आर> <शब्दों में>

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	

उपकरण	
कुल	

6. बैंक खाते का पथीर:

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक खाते का प्रकार

(ग) बैंक का नाम

(घ) खाता धारक/ सहायक का नाम

(ङ) बैंक शाखा का पता

(च) आई. एन. एस. सी.

(छ) एम. आई. सी. आई.

7. संदर्भ संख्या और दिए गए प्रत्येक जीएसटीआर-11 की तारीख

४. सत्यापन

मैं, _____ (दुतावास/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम) का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञात करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं कि हम सरकार द्वारा अभिलेखित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिलेखन बहुपक्षीय वित्तीय सम्मान और संगठन, कान्फ़ुलेट या विदेशी राज्यों के वृत्तवस्तु कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रूप में ऐसे प्रतिज्ञात द्वारा के पार हैं।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रस्थिति

प्रकार जीएसटी आरएफटी-11

[नियम 96वां देखें]

आवक का सेवाओं के निष्पत्ति के लिए दिया गया बंधन या परिचयन पर

1. जीएसटीआरएफ					
2. नाम					
3. दिए गए दस्तावेज का प्रकार उपस्थित करें		बंधन	☐	परिचयन पर	☐
4. दिए गए बंधन या बंधन					
क्रम सं०	बैंक खाते की संदर्भ संख्या	तारीख	रकम	बैंक का नाम और शाखा	
1	2	3	4	5	

टिप्पण : बैंक गारंटी और वचनबद्ध की ठोस प्रति अधिकारिता अधिकारी को दी जाएगी ।

5. धीबणः

(i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के तिर्थांत पर सट्रेड एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई है ।

(ii) मैं इसके अवलोकन से पूर्वे बैंक गारंटी के मवीकरण का परिचयन पर करता हूँ । मेरे/हमारे ऐश्व करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर सट्रेड होने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।

(iii) विभाग, माल वा सेवा के तिर्थांत के सट्रेड में एकीकृत कर सट्रेड की रकम को आरुधित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को प्रयत्न करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/वास्त्विति.....

तारीख.....

**एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र
(नियम 96क देखें)**

मैं/हम..... इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों)" कहा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के प्रति.....२०
.....की स्वीकृति का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए बंधनबद्ध और इच्छापूर्वक आबद्ध हूँ/हैं।

इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और वृत्तवत् स्वयं को/अपने को और अपने अपने कर्मिक कारियों/निष्पादकों/प्रवासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरदातियों को इस विवेक द्वारा इच्छापूर्वक आबद्ध करता हूँ/करते हैं/तारीख..... को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समस्त समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अनुमति किया गया है ;

और बाध्यताधारी धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का निर्यात करने की गारंटी रखता है/रखते हैं ;

और अनुमत्त बाध्यताधारी से राष्ट्रपति के पास में पृष्ठांकित..... रूप से एक की बिल प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी ने अनुमत्त के पास ऊपर उल्लिखित बिल प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे ती है।

इस बंधपत्र की शर्तें यह हैं कि बाध्यताधारी और उत्तरदा प्रतिनिधि, माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करें ,

और यदि सुसंगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है;

और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ध्याय सहित, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से, उक्त अधिभारी द्वारा लिखित में की गई उसकी गारंटी की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है, तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन एवं भंग या असफल होने के आधार पर उत्तरदा पूर्ण बिल और आधार होगा ;

और राष्ट्रपति, अपने विवेक पर, बिल प्रत्याभूति की स्वीकृति से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारी का पृष्ठांकन करके या टांगों से सभी प्रति और सुसंगतों को पूरा करवाने के लिए सक्षम होगा।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि वह संधार, किसी ऐसे कृत्य के अनुष्ठान के लिए, जिसने ज्वला हितभद्र है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है :

इसके साथ-साथ बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता

जन्मसाथ

(2) नाम और पता

जन्मसाथ

मैं आज, तारीख, (मास) (वर्ष) को
(पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ ।

**एकीकृत कर के संदाय के बिना मान या सेवाओं के निर्यात के लिए परिवहनपत्र
(नियम 96क देखें)**

सेवा में:

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है), उचित अधिकारी के माध्यम से जारी करते हुए

मैं/हम निवासी (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पता), जिसका/जिसका मान और सेवा कर पहचान सं० है, इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता कहा जाएगा, संयुक्त रूप से और पुष्पक रूप से स्वयं को/अपने को, मेरे/हमारे वारिसों, निध्यातक/प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरदाताओं सहित राष्ट्रपति के प्रति,—

(क) नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर एकीकृत कर का संदाय किए बिना मान और सेवाओं का निर्यात करने ;

(ख) मान या सेवाओं के निर्यात से संबंधित मान और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करने ;

(ग) मान या सेवाओं के निर्यात करने में असफल होने पर एकीकृत कर का, बीजक की तारीख से संदाय की तारीख तक का ऐसे व्याज सहित संदाय करने के लिए, जो संदेह न किए गए कर की रकम पर अठारह प्रतिशत वार्षिक रकम के बराबर होगी,

आज तारीख को इस विनियम द्वारा दंडापूर्वक आबद्ध करता हुआ करते हैं ।

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हैं कि यह परिवहन ऐसी अधिनियमितियों के जिनमें जनताहितघट है, अनुपालन के लिए उचित अधिकारी के आदेश के अधीन दिया जाता है ।

इसके माध्यम स्वयं परिवहनकर्ता (परिवहनकर्ताओं) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख से इसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

परिवहनकर्ता (परिवहनकर्ताओं) का (या) हस्ताक्षर
तारीख :
स्थान :

साक्षी:

(1) मान और पता

दस्तावेज

(2) नाम और पता

समय/दिनांक

मैं आज तारीख (मास) (वर्ष) को
(पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ ।

फॉर्म जीएसटी आईएनएस - 01

निरीक्षण और समाप्ति के लिए अधिनियम
(नियम 139(1) देखें)

सेवा में:

.....

.....

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

एवं, मेरे समक्ष सूचना प्रस्तुत की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है

कि,

अ. मैंसे.....

- मात और / या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित संबंधितों को दिखाया गया है
- हस्तागत मात के स्टॉक से संबंधित संबंधितों को दिखाया गया है
- अधिनियम के अधीन अपने हस्ताक्षरों के अतिरिक्त निवेश कर प्रत्येक का दावा किया है
- अधिनियम के अधीन अपने हस्ताक्षरों के अतिरिक्त प्रतिदाय का दावा किया है
- इस अधिनियम के अधीन कर का अपव्यय, उसके अधीन बनाये गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया है ;

या

अ. मैंसे.....

- मात के स्टॉक से बच निकलने के लिए मात परिवहन के माध्यम से चलाया गया है
- कर के स्टॉक से बचने के लिए संग्रहालय या गोदाम या स्टॉक के स्टॉक या प्रदायक द्वारा जहाँ मात का भंडार किया गया है
- इस अधिनियम के अधीन स्टॉक कर का अपव्यय करने के लिए उस रीति में लेखा या मात को रखा गया है

- अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जल्दी योग्य मात्र/ दस्तावेजों को कारबार/ आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौता निम्नलिखित है

<<परिसरों का व्यौरा>>

इसलिए—

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा पठन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बताये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत मात्र या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें।

या

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा पठन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बताये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत मात्र या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन अगले की कार्यवाही के लिए उसे जप्त करके उसे प्रस्तुत करें।

किसी व्यक्ति द्वारा भ्रमसाज देने का, साक्ष्य को विगड़ाने का, निरीक्षण/ तलाशी की प्रक्रिया के दौरान सुसंगत धर्ती का उत्तर देने में इस्तेमाल करने का कोई भी प्रयत्न, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 179, 181, 191 और 418 सम्बंधित अधिनियम के अधीन कथाराज और/ या जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा।

दिन.....साल.....20.....वर्ष में मेरा हस्ताक्षर और मुद्रा।

.....दिनों के लिए वैध।

मुद्रा

स्थान

जहाँ करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

निरीक्षण करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

(1)

(2)

प्रथम जीएसटी आईएनएच - 02

अभिग्रहण का आदेश

(निर्माण 139(2) देखें)

जबकि मेरे द्वारा, धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण/उपधारा (2) के अधीन लगभग, सटीक _____ पूर्वाह्न/अपराह्न को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया

<<परिसरों का स्थिति>>

जिसका स्थान/पताकार का स्थान/परिसर है/हैं

<<व्यक्ति का नाम>>

<< जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो >>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में ।

1. << नाम और पता>>

2. << नाम और पता>>

और निरीक्षण/समाप्ति के दौरान पाये गये लेखाखर्च, रजिस्टर, दस्तावेज/बयान और नाम की संबंधित समता, मुझे विनाश करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के तहत या से सुसंगत जल्दी योग्य मात्र और/या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे जाते हैं ।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त साक्षियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित मात्र/पुस्तक/दस्तावेज और वस्तुओं को पतन द्वारा अभिगृहीत करता हूँ ।

अ) अभिगृहीत मात्र के स्थिति :

क्र.सं.	मात्र का वर्णन	मात्र या ईकाई	मूल/विलुप्त या नोडम	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5

आ) अभिगृहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं के स्थिति :

क्र. सं.	अभिप्रेत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं का वर्णन	अभिप्रेत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं की संख्या	दिप्पणों
1	2	3	4

और ये माल और चीजें संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए हैं।

<<नाम और पता>>

इस निर्देश के साथ कि वह समनुदेशिता की पूर्ण अनुमति के बिना माल या वस्तुओं, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा।

स्थान:

कर्मिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक:

साक्षियों का हस्ताक्षर

क्र. सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर
1		
2		

नोट नं०

<<नाम और पता>>

फॉर्म जीएसटी आईएनएस-03

प्रतिबंध का आदेश

(नियम 139(4) देखें)

जबकि मेरे द्वारा धारा 67 की उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण/उप-धारा (2) के अधीन तलाशी, तारीख:/...../..... :पूर्वार्ध/अधरार्ध को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया :

<<परिसरों के प्योर>>

जिसका स्थान/कारखान का स्थान/परिसर है/हैं :

1. <<व्यक्ति का नाम>>
2. <<जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो>>

निम्नलिखित राखी/राखीयों की उपस्थिति में :

1. <<नाम और पता>>
2. <<नाम और पता>>

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखापत्री, रजिस्टर, दस्तावेज/वागज और नाम की समीक्षा करना, मुझे विश्वास करते का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के तहत या से सुसंगत जल्दी योग्य मात्र/और या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या आयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं ।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतत् द्वारा आदेश करता हूँ कि आप सम्बन्धिता की पूर्ण अनुमति के बिना मात्र, उसके भ्रान या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेंगे/करावेंगे :

क्र.सं.	नाम का विवरण	नाम और ईकाई	मैक/चिह्न और मोडल	दिप्पलिका
1	2	3	4	5

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

साक्षियों के हस्ताक्षर

	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

रीषा मे:

<<नाम और पता>>

(विधन 140(1) देखें)

अभिगृहीत माल के निर्गम के लिए बंधन

मैं..... के लक्ष्मणात् बाध्यताधारी" कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है) और/..... (राज्यपाल) (इसमें आगे "राज्यपाल" कहा गया है) के लिए धारित और इह आनन्द हू स्वयं की राति राष्ट्रपति/राज्यपाल हेतु सदय के लिए जिसे सदय किया जाएगा । मैं संयुक्त रूप से और वृचकत रूप से स्वयं आनन्द हू और मेरी कोरम/निष्पादक/विधिक प्रतिनिधित्व और इन मतमान द्वारा समनुदेशित किया गया है ।

यह धरा 67 की अधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, आदेश 40 तरीक द्वारा अभिगृहीत किया गया है, रूप की रक की रकम अन्तर्पलित करते हुए मूल्य..... के रूप में है । अनुबंध पर माल मूल्य के बंधन और प्रति रूप की प्रतिभूति बंधन के निष्पादन पर समुचित अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निर्गम किया जाने के लिए अनुमति की गई है जिसे लकड़ी/बैक गारंटी, राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है ।

यह मैं स्वयं के लिए अन्तिम रूप से निर्गम उक्त माल उत्पन्न करने के लिए परिपक्व पर करता हू और जब अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सम्बन्ध समुचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ।

और यदि समुचित अधिकारी द्वारा विधिपूर्ण प्रमाणित माना द्वारा सभी कर, बकाया, धारित, जुर्माना उक्त समुचित अधिकारी द्वारा विधित रूप में किया जाएगा, यह बाध्यता शुल्क होगी ।

अन्यथा, इस दशा मैं किसी भाग के निष्पादन में भंग या असफल होने पर पूर्णतः बन्त होगी ।

और राष्ट्रपति/राज्यपाल, इसके विकल्प में सभी हानियाँ और उपर्युक्त विधित बंधन या दोनों के अधीन इसके पृष्ठोक्ता द्वारा या प्रतिभूति सिद्धि की रकम से नुकसानही ठीक करने के लिए तैयार होना ।

बाध्यताधारी (यौ) द्वारा विधित के समक के समय हस्ताक्षरित किया गया है ।

तारीख :-

बाध्यताधारी (यौ) के हस्ताक्षर (तः)

स्थान :-

साक्षी :-

(1) नाम और पता :-

(2) नाम और पता :

तारीख :

स्थान :

आज तारीख (मास) वर्ष को (सम्बुधित अधिकारी का पदनाम) सहस्रपति/राज्यपाल के द्वारा और उसकी ओर से स्वीकार किया है।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप जीएसटी आईएसएस-05

अधिकारी या संकटकाल के मामले/वस्तुएं के निर्माण का आदेश

(नियम 14(1) देखें)

निम्नलिखित परिसर (परिसर) में को निम्नलिखित मात्र और/या चीजें अभिलेखित किए गए हैं :

«परिसर के चरित्र»

जो स्थान/कारणों के स्थान/संबंधित परिसरों के लिए :

«व्यक्ति का नाम»

«जीएसटी आईएसएस रजिस्ट्रीकृत»

अभिलेखित मात्र के चरित्र

क्रम संख्या	मात्र का वर्णन	मात्र का यूनिट	मैक/चिन्ह या टिप्पण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

और यूनिट में मात्र, विकसरी या परिसंकटग्रस्त प्रकृति के हैं और यूनिट रकम रूप (शब्दों और संख्याओं में रकम) प्रत्यक्ष समतुल्य होते हुए के लिए :

☐ ऐसे मात्र या चीजों की बाजार कीमत

☐ कर, व्याज और धारिता की रकम जोकि या संदेय हो जाता है, संदेय किया गया है । मैं तदनुसार उपरोक्त उल्लिखित मात्र अधिक निर्धारित किया जाए ।

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

सेक्रेटरी,

स्थान और पदनाम:

प्रश्न जीएसटी डीआरसी - 01

[नियम 142(1) देखें]

संदर्भ सं०.....

तारीख

सेवा में

.....जीएसटीअफ़सर/आइटी

नाम

पता

.....कर अवधिपितीय वर्ष.....अधिनियम

भार/उपभोग जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है

एसपीएन संदर्भ सं०

तारीख

.....

कारण बताओ सूचना का संक्षिप्त विवरण

(क) मामले को संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) कर और अन्य शोध

(सफ़र में रहना)

क्रम सं०	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	कार/उपकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 02

(नियम 142(1) देखें)

संदर्भ संख्या:

तारीख:

.....जीएसटीआईएन/आईटी

नाम:

पता:

एससीएन:

तारीख:

कथन/संदर्भ सं०:

तारीख:

धारा/उपधारा जिसके अधीन कथन जारी किया जा रहा है।

कथन का सविनय नै

कथन संबंध में:

(क) ज्ञातते का सविनय तथ्य

(ख) आधार

(ग) कर और अन्य शोध

(स्तर में रकम)

क्रम सं०	कर अधि	अतिनिमित्त	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	धारा/उपधारा	अन्य	वैध
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 03
(नियम 142(2) और 142(3) देखें)

**स्पष्टिख्या रूप से किया गया संशोधन की सूचना या किया गया कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के प्रति
 या संशोधन**

1.	जीएसटीआईएन									
2.	नाम									
3.	संशोधन के हेतु	<<नीचे करें>> प्रेषण परीक्षण, अनुप्रेषण, स्पष्टिख्या/एससीएन, अन्य (विवरित करें)								
4.	यह पत्र जिसके अधीन स्पष्टिख्या संशोधन किया गया है।	<<नीचे करें>>								
5.	कारण बताओ नोटिस के धारि, यदि इसके जारी के 30 दिन के भीतर संशोधन किया गया है।	संदर्भ संख्या	आरी की समीक्षा							
6.	वित्तीय वर्ष									
7.	व्याज और वारंटिस सहित किए गए संशोधन के स्मॉरे									
(रकम रुपा में)										
क्रम सं०	विवरण	अधिनियम	प्रदान का स्थान (पैजोर सं०)	कर/उपकर	व्याज	वारंटिस यदि जारी/ग	शेष	उपयोग किए गए खर्च	विकसित धारि सं०	विकसित धारि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. कारण, यदि कोई हो - <<घाट खाल>>

9. सत्यापन -

मैं उपरानुसार स्वयंनिष्ठा से प्रतिमान करता हूँ कि यहां उपर नीचे दी गई सूचना सहीतम जानकारी सत्य और सही है और कोई बात छिपाया नहीं गया है।

प्रमाणित हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
 नाम _____
 पदनाम/पस्थिति _____
 तारीख _____

प्रकार जीएसटी डीआरसी - 04

(निष्पत्ति 142(2) देखें)

संदाय से:

तारीख:

सेवा से:

_____ जीएसटीआर/आरसी

_____ नाम:

_____ पता:

प्र. अक्षर _____

द्वितीय प्र. _____

प्र.आर.एन.:

तारीख:

स्वेच्छया किए गए संदाय की स्वीकृति की अभिस्वीकृति

ठपरीक निविदा आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की, संदाय की गई रकम के विस्तार तक और उसमें शामिल करमों के लिए अभिस्वीकृति की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

प्रति -

प्रकार जीएसटी डीआरसी - 05

(नियम 142(1) देखें)

सदस्य से:

तारीख:

सेवा से:

जीएसटीआईएन/आईडी

नाम

पता

कर अधिकारी

एससीएन

एआरएन

द्वितीय वर्ष

तारीख

तारीख

कार्यवाहियों के निष्कर्ष की सूचना

यह उपरोक्त कारण बताई सूचना के सदस्य से है। जैसा कि आपने.....पारा के उपबन्धों के अनुसरण से सार्वजनिक और वाणिज्य के साथ सूचना में उल्लिखित कर की रकम और अन्य बताया संलग्न कर दिया है, उक्त सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति

प्रश्न जीएसटी डीआरसी - 06

[नियम 142(4) देखें]

कारण बताओ सूचना का प्रतिउत्तर

1. जीएसटीआर/एन		
2. नाम		
3. कारण बताओ सूचना के खीरे	संदर्भ सं.	जारी करने की तरीका
4. वित्तीय वर्ष		
5. प्रतिउत्तर		
<< टेक्स्ट बॉक्स >>		
6. अपलोड किया गया दस्तावेज		
<< दस्तावेजों की सूची >>		
7. वैयक्तिक सुनवाई के लिए विकल्प		
	☐ हाँ	☐ नहीं

8. सत्यापन -

मैं सत्यापित प्रतिज्ज्ञ करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पाठ्यकृत इस्ताझाफतरी के हस्ताक्षर

नाम _____

पदनाम/प्रास्थिति _____

तारीख - _____

फॉर्म जीएसटी डीआरसी - 07

(नियम 142(5) देखें)

आदेश का सार

1. आदेश के बारे में -

(क) आदेश सं.

(ख) आदेश की तारीख

(ग) कर आदि -

2. अन्तर्निहित विवरण - <<जीएसटी देखें>>

वर्गीकरण, मूल्यवर्धन, कर की दर, व्यापारकरों का अधिकतम, आईटीसी दावे का अधिकतम, मुक्त किए गए प्रतिदाय का अधिकतम, पूर्ति का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

3. माल/सेवाओं का विवरण -

क्र.सं.	एचएसएन	विवरण

4. प्रयोग के बारे में

(एकम स्पर्श नै)

क्र.सं.	कर की दर	व्यापारकर	पूर्ति का स्थान	कार्य	कर/इपकर	व्याज	वस्तु
1	2	3	4	5	6	7	8

6. काम की गई राकम

क्र. सं.	कार की अवधि	कार्य	मत/उपमत	व्याज	प्राप्ति	अवधि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पृष्ठ -

प्ररूप जीएसटी डिआरसी - 08

(नियम 142(1) देखें)

संदर्भ सं.

तारीख :

आदेश का परिशोधन

उद्देशिका - << मानक >> (केवल आदेश के लिए लागू)

मूल आदेश की विशेषताएं			
कर की अवधि, यदि कोई हो			
धारा, जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है			
आदेश सं.		जारी करने की तारीख	
उपबंध निर्धारण आदेश सं., यदि कोई हो		आदेश की तारीख	
एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो		एआरएन की तारीख	

..... उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश के परिशोधन के लिए आपका आवेदन संतोषजनक माना गया है;

..... यह मेरे ज्ञान में आया है कि उपरोक्त आदेश के परिशोधन की आवश्यकता है;

परिशोधन का कारण -

<< पाठ बाक्स >>

ज्ञान के अतिरिक्त, परिशोधन के पश्चात्, यदि कोई हो

(सहम स्वीकृति में)

क्र.सं.	कर की दर	व्यापार आवृत्ति	प्रकार का स्थान	कार्य	कर/उपकर	व्याज	शर्तित
1.	2	3	4	5	6	7	8.

उपरोक्त आदेश, धारा 161 के अधीन निर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग में लीये गया इल्लिखित परिशोधित किया जाता है।

« पाठ »

नीचा में,

_____ (जीएसटीआईएस / आईसी)

_____ नाम

_____ (पता)

प्रति -

फॉर्म जीएसटी डीआरसी - 09

(निधन 143 देखें)

सेवा में:

व्यक्तिगत के व्यक्ति -

जीएसटीआईएन -

नाम -

संलग्न आदेश सं:

तारीख:

वस्तु की संख्या सं:

तारीख:

अपशिष्ट

विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से धारा 79 के अधीन वस्तुओं के लिए आदेश

जहां पर, उपकार, व्याज और शक्ति के संकेत <<—>> स्पष्ट की राशि <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सेल>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपरोक्त व्यक्ति, जो ऐसी वस्तु का संदाय करने से विफल हो चुका है, द्वारा संदेय है। प्रकाश के व्यक्ति नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

(संलग्न स्वरूपों में)

क्रम	धन/उपकार	व्याज	शक्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
एकीकृत कर					
केन्द्रीय कर					
राज्य/संघ					

प्रारूप जीएसटी डीआरसी - 10

(नियम 144(2) देखें)

अधिनियम की धारा 79 (1)(ख) के अधीन मातृ के नीलामी की सूचना

मातृ आदेश संख्या:

तारीख:

अधिति:

मेरे द्वारा ---- रूप और उस पर ब्याज की बसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या करस्थान किए गए मातृ के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में बसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यवस्था है।

विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और मातृ अनुसूची में विनिर्दिष्ट जगह में विक्रय के लिए रखा जाएगा। विक्रय व्यक्तिगतों के अधिकार, गोप्य और हितों के लिए किया जाएगा और इस संपत्ति के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक जगह के मालिक अनुसूची में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है।

नीलामी,----- पर ----- घंटा/संघ को आयोजित की जाएगी। नीलामी के तारीख से पूर्व देय सम्पूर्ण शुल्क के संदत हो जाने पर विक्रय रोक दिया जाएगा।

प्रत्येक जगह की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निर्देशों के अनुसार संदत की जाएगी और संदत के व्यक्तिगत में मातृ को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा।

अनुसूची

क्र.सं.	मातृ का विवरण	मातृ
1	2	3

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान

तारीख

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - II
(लियज 144(5) और 147(12) देखें)

सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले के लिए सूचना

हैला में,

.....

कृपया नीचे नीलामी निर्देश संख्या तारीख.....को निर्देश लें। को आयोजित नीलामी के आधार पर, तत्काल मामले में आप सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले पाए गए हैं।

आपसे प्लट द्वारा नीलामी के तारीख से 15 दिन अवधि के भीतर स्थल का संदान करने की अपेक्षा की जाती है।

आपको मान्यता कचड़ा बोली की रकम के पूर्णरूप में संदान करने के पश्चात आपकी अंतर्गत बिधा जाएगा।

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान

तारीख

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 12
(निगम 144(5) और 147(12) देखें)

वित्तव प्रमाण पत्र

मान आदेश संख्या:

धसुली की संदर्भ संख्या:

तारीख:

अवधि:

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मान:

अनुसूची (जंगम माल)

क्र.सं.	मान का विवरण	मान
1	2	3

अनुसूची (स्थवर माल)

माल सं.प्लेट नं.	कमीर नं.	स्वाम/ संपत्ति का नाम	सदस्यता	अवस्थान / प्लॉट	जिला	राज्य	पिनकोड	अवतार (विकल्प)	देखाना (विकल्प /)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुसूची (सेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मान	कीमत
1	2	3	4

ENTRADA

फॉर्म जीएसटी डीआरसी - 13

(नियम 145(1) देखें)

पारा 79(1)(ग) के अधीन तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना

सेवा में:

.....

व्यक्तिगत की विशिष्टता)

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

मुख्य आदेश संख्या:

तारीख:

वस्तु की संदर्भ संख्या।

तारीख ।

अधिति :

कम, उपरान्त, ब्याज और शक्ति की रकम पर <<.....>> स्था की रकम <जीएसटीआईएन>> धारण करने वाले <<कार्यक्षेत्र व्यक्ति का नाम>> जो इसी रकम का संदाय करने में विफल हो गया है, या द्वारा <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय योग्य है, और/या

यह ऐश्वर्य है कि आपसे उक्त कार्यक्षेत्र व्यक्ति के लिए स्था की रकम देव है या देव हो सकती है, या

यह ऐश्वर्य है कि उक्त व्यक्ति के लिए या उस पर स्था की रकम आपके पास है या आपके पास होने की सम्भावना है।

आपको अधिनियम की धारा 79 की उपधारा(1) के खंड (ग) (i) में अंतर्निहित उपबंधों के अनुपालन में देय के होने या हो सकने वाले घात पर या सरकार के लिए स्था की रकम का संदाय करने के लिए निर्देश दिया जाता है ।

कृपया नोट करें कि इस सूचना के अनुपालन में आपके द्वारा कड़े संदाय उक्त करायेय व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन किए जाने के प्रति उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन समझा जाएगा और प्ररूप जीएसटी डीआरजी-14 में सरफार से प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्तम और पर्याप्त रूप से निर्बंध किया जाएगा ।

कृपया यह भी नोट करें कि यदि इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात उक्त करायेय व्यक्ति के लिए किसी दायित्व का आपसे निर्बंध किया है, आप कर, उपकर, व्यय और शक्ति जो भी कम हो, के लिए करायेय व्यक्ति के दायित्व के विस्तार के लिए या निर्बंध किए जाने वाले दायित्व के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य/केंद्रीय सरकार के लिए व्यक्ति रूप में दायी होंगे।

कृपया नोट करें कि इस सूचना के अनुसरण में संदाय करने में आप विफल होते हैं, आपको इस सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यक्तिगत समझा जाएगा और अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम के परिणामस्वरूप चलान किया जाएगा ।

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 14

(नियम 145(2) देखें)

तीसरे व्यक्ति के लिए संदाय या प्रत्याग पत्र

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-13 में आपको जारी सूचना के प्रतिफल में बोली लगाने वाली निर्दिष्ट संख्या _____
तारीख _____ को आपको नीचे दिए गए स्वतंत्रिकर्मी के नाम के लिए _____ रुपए का संदाय करने के
लिए आपकी दायित्व का निर्वाहन करना।

जीएसटीआरईएन---

नाम:

मान आदेश संख्या:

तारीख:

वस्तु की नदम संख्या:

तारीख:

अवधि:

यह प्रत्याग पत्र आपकी दायित्व का प्रत्याग पत्र में निर्दिष्ट रकम के विस्तार के प्रति अप्रतिबन्धित
स्वतंत्रिकर्मी हेतु प्रयोग रूप निर्वाहन किया जाएगा।

हस्ताक्षर.....

नाम:

पद नाम:

हस्ताक्षर:

तारीख:

फ़ॉर्म जीएसटी डीआरसी - 15

(नियम 146 देखें)

डिजी के लिए निष्काशन का अनुरोध करने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन

सेवा में:

.....न्यायालय का मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश

.....

आदेश संख्या:

तारीख:

अवधि:

संश्लेष/संश्लेषा,

आपको यह सूचित किया जाता है कि 20.....की.....वाद सफ़ा में(व्यक्ति/व्यक्ति का नाम) के द्वारा 20.....की तारीख को आपके न्यायालय में अतिरिक्त डिजी के अनुसार उक्त व्यक्ति के प्रति.....स्वयं का संदेश दिया जाता है। तथापि, उक्त व्यक्ति आदेश संख्यातारीखद्वारा <<एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी/ सीजीएसटी/ आईजीएसटी/ सीईएसएस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन.....स्वयं की रकम का संदाय करने के लिए दायी है।

आपसे डिजी का निष्काशन करने और ऊपर ब्यावहिरित बकाया वसूल योग्य रकम का निष्काशन करने के लिए शुद्ध आगमन पन्थ के लिए अनुरोध किया जाता है।

स्थान:

तारीख:

सम्बन्धित अधिकारी/मिनिस्ट्रि अधिकारी

नियम 147(1) और 151(1) देखें।

Figure 1

जीएसटी अर्द्धरतः.....

[illegible]

मान आदेश नं०

संक्षेपः

पञ्चाली की संख्या २०

संस्कृत

409

धारा 79 के अधीन स्थावर/जंगम माली/शेयरों की कुर्बानियों और विक्रयों हेतु सूचना।

«एनजीएमटी/यूटीजीएमटी/सिजीएमटी/आईजीएमटी/उपकर» अधिनियम के उपबंधों के अधीन आपके द्वारा संदेय कर/उपकर/व्याज/प्राप्ति/फिस के बकाया.....रु० की रकम का संदाय करने में आप असफल रहे हैं।

इसलिए नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित स्थावर संपत्ति को कुल किया जाता है और उस राजस्व की समूची के निम्न वित्तिय किया जायेगा । अतः आपको किसी भी प्रकार से उस मान का अन्तरण करने या उस पर प्रभाव सृजित करने से प्रतिषेध किया जाता है और आपके द्वारा किया गया कोई अन्तरण या सृजित प्रभाव अवैध होगा ।

अनुराधी (जंगल)

क्र.सं.	मासकी कर प्रणाली	परिमाण
1	2	3

जन्मस्थान (स्यावर)

[illegible]

अनुसूची (सीयर)

क्र.सं.	अंशाली का नाम	परिमाण
1	2	3

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान

तारीख

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 17

(नियम 147(4) देखें)

धारा 79(1) (घ) के अधीन स्थावर/जंगम सम्पत्ति की नीलामी हेतु सूचना ।

मान आदेश सं०

तारीख :

बसुली की संदमे सं०

तारीख :

अधदि :

धारा 79 के उपबंधों के अनुसार में ----- 80 और उस पर स्थावर तथा बसुली प्रक्रिया में उपगत बाध्य व्यय की बसुली के लिए नीचे दी गई शर्तों में विनिर्दिष्ट बुद्धि बिन्दु नये वा करस्थित बिन्दु नये मामलों की विज्ञापन हेतु मेरे द्वारा एक आदेश किया गया है ।

विक्रम सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा और मान की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाग में विज्ञापन के लिए रखा जायेगा । विज्ञापन व्यय/व्ययों के अधिपत्र, अधिनाम और बिन्दु का होगा और उक्त सम्पत्ति में उपलब्ध दायित्व और दायें, जहाँ तक उन्हें अधिनिर्दिष्ट किया गया है, वे होंगे जिन्हें प्रत्येक भाग के समस्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

मूल्य की किसी जाने के किसी आदेश की अनुपस्थिति में नीलामी----- पूर्ण/अपरिपूर्ण (बजे)----- (तारीख) को होगी । सूचना के जारी होने से पहले जहाँ बकाया संपूर्ण खाना संदमे कर दी गई है कि दफा में नीलामी रद्द कर दी जायेगी ।

प्रत्येक भाग की कीमत समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निर्देशों के अनुसार विज्ञापन के समय संदम की जायेगी और संदम के व्यय/व्ययों में, मान को दोधारा नीलामी के लिए रखा जायेगा तथा पुनः विक्रय किया जायेगा ।

अनुसूची (जंगम)

क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

अनुसूची (संख्या)

संख्या सं.सूची सं.	सं. सं.	परिचय/संख्या का सं.	सं. सं. सं.	परिचय/ सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं.	सं. सं. (सं.सं.सं.)	सं. सं. (सं.सं.सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुसूची (संख्या)

सं. सं.	सं. सं. का सं.	परिचय
1	2	3

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

तारीख

प्रकार जीएसटी डीआरसी - 18

(नियम 155 देखें)

सेवा में

जिला कलक्टर का नाम और पता

मान्य आदेश सं०

तारीख :

कराली की संदने सं०

तारीख :

अवधि :

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नीलामी प्रमाण पर ।

मैं.....प्रमाणित करता हूँ कि अधिनियम
<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर>> के अधीन
जीएसटीआईएन.....धारित मैसर्स.....से.....₹० की ऐसी राशि की मांग
की गई है जो उसके द्वारा संदेय है, लेकिन संदत नहीं की गई है और अधिनियम के अधीन उपबंधित
रीति से उक्त ध्वनिगामी से वसूल नहीं की जा सकती है ।

<< मांग विवरण >>

उक्त जीएसटीआईएन धारक आपकी अधिकारिता में संपत्ति का स्वामित्व रखता है/निवास करता है/
कारबार करता है, जिसकी विविधियाँ नीचे दी गई हैं:-

<<वर्णन>>

आप से निवेदन है कि उक्त ध्वनिगामी से.....स्थले की राशि को इस प्रकार से वसूल करने जैसे
कि वह भूमि राजस्व का कोई बकाया हो के लिए शोध कदम उठावे ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान

तारीख

प्रत्येक जीएसटी डीआरसी - 19
(नियम 156 देखें)

सेवा में
मजिस्ट्रेट

<<स्वाभाविक या मजदूरी और पता>>

मार्ग आदेश सं०

तारीख :

बसुली की मदद सं०

तारीख :

अवधि :

जुर्मान के रूप में बसुली के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन ।

.....सू० की कोई राशि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर व्याज और शक्ति के कारण <<जीएसटीआईएन>> धारित <<करावीय व्यक्ति का नाम>> से बसुली योग्य है । आपसे निवेदन है कि कृपया अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अनुसरण में इस राजस्व को इस प्रकार से बसुली करें जैसे कि यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिलेखित कोई जुर्माना हो ।

व्यक्ति का विवरण				
जुर्मान	कैलेंडर का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का	संबंधित कर	उपकर
कर/उपकर				
व्याज				
शक्ति				
सिक्त				
जाना				
प्राप्त				

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान

तारीख

प्रारूप जीएसटी डीआरसी - 20

(लियम 158(1) देखें)

आस्थगित संदाय/किश्ती में संदाय के लिए आवेदन

1. करदाता व्यक्ति का नाम _____
2. जीएसटीआईएन _____
3. अवधि _____

अधिनियम की धारा 80 के अनुसार मैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे कर/अन्य बकायों के संदाय के लिए _____ तक के समय का विस्तार अनुमत करें या मुझे ऐसे कर/अन्य बकायों को नीचे दिये गये कारणों से _____ किश्ती में संदाय करने के लिए अनुमत करें--

भाग आईडी				
वर्ष	किश्ती का क्र.	राज्य/राज्य/राज्य	प्रतिफल का	उपकरण
कर/उपकरण				
उपकरण				
वर्ष				
वर्ष				
वर्ष				
वर्ष				
वर्ष				

कारण :-

अपलोड किये गये

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूँ/प्रमाणित करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्रतिकृत हस्ताक्षरों के हस्ताक्षर _____

नाम _____

स्थान _____

फॉर्म जीएसटी डीआरसी-21

(नियम 158(2) देखें)

संदर्भ सं० <<—>>

<<तारीख>>

सेवा में,

जीएसटीआइएन _____

नाम _____

पता _____

मूल आदेश सं० _____

तारीख _____

पराती का संदर्भ संख्या _____

तारीख _____

अधिति _____

आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन) _____

तारीख _____

आस्थिति संदाय/किस्ती में संदाय के लिए आवेदन के स्वीकार/अस्वीकार के लिए आदेश

यह अधिनियम की धारा 80 के अधीन प्रस्तुत किए गए आपके उपरोक्त निदिष्ट आवेदन के संदर्भ में है। आस्थिति संदाय/कर के संदाय/ किस्ती में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में आपको तारीख _____ द्वारा कर और अन्य देय संदाय करने की अनुमति दी जाती है या इस संबंध में आपको _____ स्थिति में कर और अन्य देय संदाय करने की अनुमति दी जाती है।

या

यह अधिनियम की धारा 80 के अधीन प्रस्तुत किए गए आपके उपरोक्त निदिष्ट आवेदन के संदर्भ में है। आस्थिति संदाय/ कर के संदाय/ किस्ती में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इसको निम्नलिखित कारणों के लिए आपके अनुरोध को मान लेना विनयपूर्ण भी सम्भव नहीं है :

अस्वीकार के लिए कारण

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

फॉर्म जीएसटी डीआरसी-22
(नियम 159(1) देखें)

संदर्भ संख्या:

तारीख:

सेवा में,

_____ नाम

_____ पता

(बैंक/ डाक खाता/ वित्तीय संस्थान/ अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)

धारा 83 के अधीन संपत्ति की अंतिम कुर्बानी

आपको यह सूचित किया जाता है कि मेरासे _____ (नाम) करदाता का जून स्वतंत्र _____ (पता) रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप में _____ (जीएसटीआईएनआई) पी.ए.एन. _____ <जीएसटीआई/सीजीएसटी> अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत करदाता व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति से कर या कोई अन्य रकम का आग्रहण उक्त अधिनियम की धारा << _____ >> के अधीन पूर्णकृत करदाता व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेरी नोटिस में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -

<<स्थित/ घातु / एफ डी/ आर डी/ निक्षेप >> खाता आपके << बैंक/ डाक खाता/ वित्तीय संस्थान >> में खाता संख्या << खाता सं. >>।

या

<< संपत्ति आई डी और अवस्थाएं >> पर संपत्ति स्थिति है।

राजस्व के हिस्से का संग्रहण करने के लिए और अधिनियम की धारा 83 के अधीन घटत शक्तियों का प्रयोग करने हुए, मैं _____ (नाम), _____ (पदनाम), पूर्णकृत खाता संपत्ति की अंतिम कुर्बानी करता हूँ।

कोई विकल्प इस विभाग की पूर्ण अनुज्ञा के बिना उक्त धन पर पूर्णकृत व्यक्ति द्वारा संचालित उक्त खाता या कोई अन्य खाता से अनुज्ञा नहीं करने दिया जाएगा।

या

उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति इस विभाग की पूर्ण अनुज्ञा के बिना सिफात करने को अनुज्ञा नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पति :-

फरम जीएसटी डीआरसी - 33

(नियम 159(3), 159(5) और 159(6) देखें)

संदर्भ संख्या :-

तारीख:

सेवा में

..... नाम

..... पता

(बैंक/हाल-खाता/द्वितीय संस्था/उपलब्ध संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)

आदेश संदर्भ संख्या :-

तारीख

धारा 31 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्की संपत्ति तारीख बैंक खाता का प्रत्यावर्तन

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राज्य के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्की <<चालू / चालू / एक डीआर सी>> खाता संख्या आपके << बैंक /हाल-खाता /द्वितीय संस्था>> में खाता संख्या <<.....>> की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिगत व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित नहीं है जिसका उपलब्ध खाता की कुर्की का कारण था । अतः, इसलिए, उपलब्ध खाता अब संबंधित व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है ।

या

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राज्य के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्की << आई डी /अवस्था>> संपत्ति की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिगत व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है जिसका उपलब्ध संपत्ति की कुर्की का कारण था । अतः, इसलिए उपलब्ध संपत्ति अब संबंधित व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति :-

प्रश्न जीएसटी डीआरसी - 34
(नियम 160 देखें)

सेवा में,

समापक/प्रापक,

करपेय व्यक्ति का नाम

जीएसटीआईएन:

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

अवधि:

रकम की वसूली के लिए समापक को सूचित करना

यह आपको वर <<सूचना संख्या और तारीख>> के संदर्भ में, <<कंपनी का नाम>> <<जीएसटीआईएन>> रखने वाले के लिए समापक के रूप में अपनी जिम्मेदारी की सूचना दी जा रही है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त कंपनी राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित राशि देयदार/संभावनीय देयदार है,

घाटू/ प्रत्याशित मांग

(रुपयों में राशि)

अधिनियम	कर	स्वाज	शक्ति	अनुम देता	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य / श्रुती कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अनुपालन में आपको यह निर्देशित किया जाता है कि कंपनी के अंतिम परिसमापन से पहले घाटू और प्रत्याशित व्यक्तियों के उत्सोध्य के लिए प्रभाव्य उपबंध करना।

नाम

पदनाम

स्थान

तारीख

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 25
(नियम 161 देखें)

संदर्भ सं० << — >>

<< तारीख >>

सेवा में,

जीएसटीआईएन _____

नाम _____

पता _____

मांग आदेश सं० _____

तारीख _____

वसूली का संदर्भ संख्या _____

तारीख _____

अर्थात्

अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही में संदर्भ संख्या _____

तारीख _____

वसूली कार्यवाहियों का चालू रहना

स्वरा के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट वसूली संदर्भ संख्या द्वारा आपके विरुद्ध वसूली कार्यवाहियों को शुरू करने के संदर्भ में है।

अपील/पुनरीक्षण प्राधिकारी/न्यायालय _____ << प्राधिकरण का नाम / न्यायालय >> आदेश सं० _____ तारीख _____ द्वारा उपरोक्त उल्लिखित मांग आदेश सं० _____ तारीख _____

द्वारा समावेश देय को बढ़ा देगा / कम कर देगा और जब देय _____ स्पष्ट रह गई है। अपील या पुनरीक्षण के निपटान से तत्काल पहले खड़ी उन वसूली कार्यवाहियों पर प्रक्रम से बड़ी हुई वसूली/कम हुई वसूली की— स्पष्ट की राशि निरन्तर बनी हुई है। अपील/पुनरीक्षण प्रभाव देने के पश्चात् मांग की पुनरीक्षित रकम नीचे दी गई है :-

वित्तीय वर्ष _____

(राज्य स्पष्ट में)

अधिनियम	का	व्याप्त	शामिल	अन्य देय	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केंद्रीय कर					
राज्य/शुटी कर					
एकीकृत कर					
अन्य					

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान

तारीख

फॉर्म जीएसटी सीपीटी - III
(नियम 162(1) देखें)
राज्यीय अपराध के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईटी	
2.	आवेदक का नाम	
3.	पता	
4.	अधिनियम के उपबंधों को अनुमोदन जितने लिए अधिनियम संशोधित या अनुरोधित किया जाता है।	
5.	न्यायमूर्तिगत आदेश/नोटिस का प्रकार	
	सदस्य संख्या	
	तारीख	
	कार	
	जमाना	
	घातित	
	जुमाना यदि कोई हो	
6.	मामले का संक्षिप्त तथ्य और प्राप्ति अपराध (अपराधों की विशेषताएं)	
7.	क्या यह अधिनियम के अधीन पड़ता अपराध है	
8.	यदि सच का उत्तर सकारात्मक है तो पिछले मामले का वर्गीकृत	
9.	क्या इसी या कोई अन्य अपराध के लिए कोई कार्यवाहियां किसी अन्य विधि के अधीन अनुरोधित हैं।	

113	यदि सं. 9 का उत्तर सन्तुष्टजनक है तो उसका ध्वजा	
-----	---	--

घोषणा

- (1) मैं, आपुणत द्वारा यथानियत प्रश्ननाम स्वयं संदाय करूँगा ।
- (2) मैं, सम्मतिता हूँ कि मैं अधिकार से चर्चित से दाया नहीं करूँगा अधिनियम के अधीन मेरे द्वारा कारित उस अपराध का समान किया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

प्रत्येक जीएसटी सीपीडी-02

(नियम 162(3) देखें)

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन/आईटी-----

नाम-----

पता-----

प्रमाणन-----

तारीख-----

सम्वत्तीय अपराध के अस्वीकार / मौक के लिए आदेश

यह उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन के संदर्भ में है। आपका आवेदन का विभाग में परीक्षण कर लिया गया है और निम्नलिखित नीचे अभिलेख लिया गया है :-

अनुपाठ 22

मैं, सन्तुष्ट हूँ कि आप स्तम्भ (1) में वर्णित प्रचालन रकम संलग्न पर नीचे दी गई तालिका के स्तर 2 में वर्णित अपराधों के संबंध में सम्वत्तीय अपराध को अनुसृत करने की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

क्रम सं.	अपराध	प्रचालन रकम (रुपय)
(1)	(2)	(3)

टिप्पणी: यदि करायेय व्यक्ति द्वारा किया गया उपर्युक्त स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट एक से अधिक प्रकरण में जाता है तो सम्वत्तीय रकम स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट ऐसी रकम होगी जो ऐसे प्रकरण के समस्त निर्दिष्ट अधिकतम रकम है, जिन्हें समाप्त किए जाने के लिए इष्टनीत अपराधों को पर्याप्त किया जा सकता है।

आपको निर्दिष्ट किया जाता है तारीख ----- द्वारा पूर्णतः सम्वत्तीय रकम संलग्न कर दें और सम्वत्तीय रकम के संलग्न पर, आप पूर्णतः तालिका के स्तर (2) में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से अनुसृत कर दिया जाएगा।

या

☐ आपको आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

(फा0 सं0 345/58/2017 जीएसटी (पीटी))

(छा0 श्रीपावेंती एस.एस)
अवर सचिव, भारत सरकार

दिप्पन : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 की सा.का.नि.सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं0 663(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 10/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।